



रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/ पीएण्डए/ भर्ती/ अनुबंध/ अनुबंध कामगार/2025/14

दिनांक 20 जनवरी 2026

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरल अनुसूची 'ए' कंपनी, सीएसएल में अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित कामगारों के पदों को भरने हेतु पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है:

I. पदों का नाम, ट्रेड, शैक्षिक योग्यता और अनुभव:

तालिका 1

क्र.सं.	पदों का नाम व ट्रेड	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
क.	अनुबंध पर फैब्रिकेशन सहायक		
A.1	शीट मेटल वर्कर	एसएसएलसी उत्तीर्ण और शीट मेटल वर्कर के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, फैब्रिकेशन यानी कटिंग, फिट अप और वेलिंग प्रक्रिया में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।
A.2	वेल्डर	एसएसएलसी उत्तीर्ण और वेल्डर/ वेल्डर (गैस व इलेक्ट्रिक) के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, संगत ट्रेड में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।
ख.	अनुबंध पर आउटफिट सहायक		
ख.1	फिटर	एसएसएलसी उत्तीर्ण और फिटर के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, संगत ट्रेड में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।
ख.2	इलेक्ट्रीशियन	एसएसएलसी उत्तीर्ण और इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, संगत ट्रेड में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।
ख.3	मेकानिक डीज़ल	एसएसएलसी उत्तीर्ण और मेकानिक डीज़ल के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, संगत ट्रेड में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।
ख.4	मेकानिक मोटर वाहन	एसएसएलसी उत्तीर्ण और मेकानिक मोटर वाहन के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, संगत ट्रेड में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

क्र.सं.	पदों का नाम व ट्रेड	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
ख.5	इलेक्ट्रॉनिक मेकानिक	एसएसएलसी उत्तीर्ण और इलेक्ट्रॉनिक मेकानिक के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, संगत ट्रेड में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।
ख.6	पेंटर	एसएसएलसी उत्तीर्ण और पेंटर के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, संगत ट्रेड में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।
ख.7	मशीनिस्ट	एसएसएलसी उत्तीर्ण और मशीनिस्ट के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, संगत ट्रेड में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।
ख.8	क्रेन प्रचालक	एसएसएलसी उत्तीर्ण और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मेकानिक या इंस्ट्रूमेंट मेकानिक के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, क्रेन (इलेक्ट्रिकल) के संचालन में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।
ख.9	इंस्ट्रूमेंट मेकानिक	एसएसएलसी उत्तीर्ण और इंस्ट्रूमेंट मेकानिक के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, संगत ट्रेड में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।
ख.10	प्लंबर	एसएसएलसी उत्तीर्ण और प्लंबर के ट्रेड में आईटीआई - एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, संगत ट्रेड में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।
ख.11	शिपराइटवुड	एसएसएलसी उत्तीर्ण और शिपराइटवुड या बढ़ई के ट्रेड में आईटीआई-एनटीसी (राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र)	योग्यता प्राप्त करने के बाद, संगत ट्रेड में न्यूनतम तीन साल का अनुभव/ प्रशिक्षण।

II. महत्वपूर्ण तिथि:

ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

: 21 जनवरी 2026
: 07 फरवरी 2026



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

III. पदों का नाम, ट्रेड, रिक्तियों की संख्या और आरक्षण :

तालिका 2

क्र.सं.	पदों का नाम व ट्रेड	अनारक्षित	अ.पि.व	अ.जा.	अ.ज.जा.	ईडब्ल्यूएस	कुल
क	अनुबंध पर फैब्रिकेशन सहायक						
क.1	शीट मेटल वर्कर	31	20	7	-	6	64
क.2	वेल्डर	28	15	2	-	4	49
ख	अनुबंध पर आउटफिट सहायक						
ख.1	फिटर	33	-	3	-	3	39
ख.2	इलेक्ट्रीशियन	9	7	2	1	2	21
ख.3	मेकानिक डीज़ल	10	5	-	-	1	16
ख.4	मेकानिक मोटर वाहन	10	4	1	-	1	16
ख.5	इलेक्ट्रॉनिक मेकानिक	6	4	2	-	1	13
ख.6	पेंटर	6	3	1	-	1	11
ख.7	मशीनिस्ट	4	4	1	-	1	10
ख.8	क्रेन प्रचालक	3	2	1	-	-	6
ख.9	इंस्टूमेंट मेकानिक	3	-	3	-	-	6
ख.10	प्लंबर	3	2	-	-	-	5
ख.11	शिपराइटवुड	2	2	-	-	-	4
कुल		148	68	23	1	20	260

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।

ख) बैंचमार्क दिव्यांगज व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) केलिए आरक्षण भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

IV. अनुबंध की अवधि और तैनाती का स्थान:

क) उपर्युक्त सभी पद अस्थायी हैं और परियोजना आवश्यकताओं और व्यक्तिगत कार्य - निष्पादन के अधीन पांच साल की अवधि के लिए है।

ख) तैनाती सीएसएल द्वारा वांछितानुसार सीएसएल /सीएसएल के अन्य यूनिट/ अन्य परियोजना स्थलों पर होगी। फिर भी परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवारों को सीएसएल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

V. पारिश्रमिक:

क) न्यूनतम अनुभव आवश्यकता (अर्थात् 3 वर्ष) को पूरा करने वाले उम्मीदवारों के लिए समेकित वेतन ₹ 23,300/-प्रति माह है। वे अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए ₹ 5,830/-प्रति माह तक के मुआवजे के भी पात्र होंगे।

ख) सीएसएल या इसी तरह के अन्य शिपयार्ड में न्यूनतम आवश्यक अनुभव से अधिक, एक वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्च वेतन की पेशकश की जा सकती है।

VI. आयु:

क) सभी पदों के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 07 फरवरी 2026 को 45 वर्ष से अधिक न हो, यानी आवदेकों का जन्म दिनांक 08 फरवरी 1981 को या उसके बाद होना चाहिए।

ख) आरक्षित पदों में अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष और अ.जा/ अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी।

ग) भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 50 वर्ष होगी।

VII. चयन की रीति:

क) चयन प्रक्रिया प्रायोगिक परीक्षा (100 अंक) के माध्यम से होगी।

ख) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल विभिन्न पदों के लिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार है और केवल लघुसूचीगत किए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

ग) प्रमाण पत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए लघुसूचीगत किया जाएगा, जो सीएसएल, कोचीन में आयोजित की जाएगी।

घ) प्रायोगिक परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार होंगे :-

अनारक्षित पदों और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए - प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंकों का 50 %, अ.पि.व उम्मीदवारों के लिए- प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंकों का 45 % केवल अ.पि.व के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए,



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अ.जा./ अ.ज.जा.उम्मीदवारों केलिए - प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंकों का 40% केवल अ.जा./
अ.ज.जा. केलिए आरक्षित रिक्तियों केलिए
पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों केलिए - प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंकों का 40 %

- इ) यदि योग्य उम्मीदवारों की संख्या अपर्याप्त है, तो सीएसएल न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में छूट दे सकता है।
- च) चयन पात्रता आवश्यकताओं (आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण आदि) के सत्यापन के अधीन होगा, जिसके लिए उम्मीदवार को प्रमाणपत्र सत्यापन के समय आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और आरक्षण श्रेणियों के मूल प्रमाणपत्र सहित स्वयं सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उन्हें आगे के चयन केलिए विचार नहीं किया जाएगा।
- छ) प्रत्येक पद केलिए रैंक सूची अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले और प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान कुल अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो उम्मीदवारों के आधार पर संबंधित योग्यता तय की जाएगी।

VIII. शर्तें:

क) आरक्षण

- (i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।
- (ii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी भी निम्न प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, जिसे चूकने पर उनकी उम्मीदवारी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण की ओर नहीं माना जाएगा:-
- जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
 - मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
 - राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
 - उप- विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतया रहता हो।
- (iii) यदि आवेदक अ.जा. या अ.ज.जा. या अ.पि.व. (गैर क्रीमी लेयर) का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों केलिए लागू रियायतों या छूटों केलिए विचार नहीं किया जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- (iv) बैचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

ख) योग्यता

- (i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण से द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- (ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग) अनुभव

- (i) उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 07 फरवरी 2026 से की जाएगी।
- (ii) शिक्षु अधिनियम 1961 के तहत संबंधित ट्रेड में पूर्ण शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि और पारिश्रमिक सहित किसी भी प्रशिक्षण को पदों के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अनुभव के रूप में माना जाएगा। हालांकि, इस तरह के प्रशिक्षण को प्रति माह समेकित पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (iii) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोजगार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने के लिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना चाहिए। जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सेवा अवधि के



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

दौरान अर्जित की गई ऐसी योग्यता को भी योग्यता के बाद के अनुभव की गणना केलिए माना जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और यह प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (v) आवेदकों को किए कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति, संबंधित कार्यों में संभाले गए दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पद केलिए उनके ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र को प्रस्तुति के समय संलग्न करना चाहिए।
- (vi) आवेदकों को किए कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति, संबंधित कार्यों में संभाले गए दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पद केलिए उनके ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र को प्रस्तुति के समय संलग्न करना चाहिए।
- (vii) **जो इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि पर सीएसएल के कर्मचारियों में फैब्रिकेशन सहायक और आउटफिट सहायक के रूप में कार्यरत हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

घ) आवेदन शुल्क:

- (i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग आदि) का उपयोग करके ₹300/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 21 जनवरी 2026 से 07 फरवरी 2026 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/ अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- (iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोड़कर, उपरोक्त में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।



ड) आवेदन कैसे करें

- (i) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) लिंक पर प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आवेदन के दो चरण होते हैं – एक बार पंजीकरण और लागू पद केलिए आवेदन जमा करना। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- (ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से दिनांक 21 जनवरी 2026 से 07 फरवरी 2026 तक प्राप्त की जा सकती है। सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाणपत्र और एक नया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- (v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति "प्रगति में" के रूप में (इन प्रोसेस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद, उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति "प्रगति में" है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए।



- (vii) **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।**
- (viii) वेबसाइट **दिनांक 21 जनवरी 2026** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **07 फरवरी 2026** है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। **आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा एसएफी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।**

च) सामान्य

- (i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पदों के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**
- (ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।
- क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और
- (i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या
 - (ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या
 - (iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।
- ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात् निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या
- ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार



पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या

घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

इ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

ज) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।

(iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल द्वारा किसी अन्य चरण में सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

(v) अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(vii) पद केलिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई-मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची) के



माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी । उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची) को बार- बार देखें।

- (viii) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने, चयन प्रक्रिया केलिए बुलावा पत्र जारी करने आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पाव्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
- (ix) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि केलिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या समाप्ति के बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।
- (x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- (xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोज़गार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- (xii) पद के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। रैंक सूची केवल तभी संचालित की जाएगी जब रैंक सूची से शामिल होने केलिए सलाह दी गई उम्मीदवार के शामिल न होने या रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में अलग होने के कारण कोई रिक्ति होती है। रैंक सूची का उपयोग सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन सहित रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने केलिए भी किया जा सकता है।
- (xiii) इस अधिसूचना में दर्शाई गई पदों की संख्या मौजूदा आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग होगी, और रैंक सूचियों की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के विवेकाधिकार पर उस रैंक सूची से भरा जा सकता है।
- (xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और काम की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

- (xv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।
- (xvi) चयनित उम्मीदवार को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।
- (xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- (xviii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- (xix) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- (xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल या लैंडलाइन नं. 0484 - 250 1221 से संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)